न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—586/2012/225 (2012/00118)

1. मथरा पुत्री दयाल,
2. मन्ता पुत्री दयाल,
3. ग्यारसी पुत्री दयाल,
4. कमला पुत्री दयाल,
5. जीत्या पुत्री दयाल,
6. गोरी पुत्री दयाल,

समस्त जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तह0नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. प्रेम बेवा दयाल,
2. रमेश पुत्र कल्याण,

जाति जाट, निवासी लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

3. उप पंजीयक, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 5.9.2011 अंतर्गत प्रकरण संख्या 98/2010.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4 .
3. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 26.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 5.9.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं 92—ए राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद स्थित खाता संख्या 403 नई व 1102 पुरानी में वर्णित आराजी खसरा संख्या 1737, 1758, 1842, 1760/6367, 2763, 2764, 2936, 2973, 3096, 3099, 3177, 3178, 3181, 3187, 3190, 3191 कुल किता 16 कुल रकबा 3.4800 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार अपीलांटस के स्व0 पिता दयाल पुत्र सुगना, जाति जाट निवासी लोहरवाड़ा थे । जिनके स्वर्गवास होने पर रेस्पो0 संख्या 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रेम बेवा दयाल व सावरा पुत्र दयाल ने अपीलांटस को विरासती नामांतकरण से वंचित कर तन्हा रूप से अपने नाम नामांतकरण संख्या 388 दिनांक 18.9.1999 तस्दीक करवा लिया । उक्त अंकन को अपीलांटस/वादीगण को प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के साथ हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने हेतु वाद पेश किया । उक्त राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 30.11.2010 को अपीलांटस व रेस्पो0 को आपसी सहमति से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद अधी0न्याया0 द्वारा डिक्री कर अपीलांटस को ग्राम लोहरवाड़ा स्थित विवादित आराजियात का रेस्पो0/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 (सांवरा पुत्र दयाल जिसका दिनांक 4.12.2010 को स्वर्गवास हो चुका है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र उक्त अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जा रहा है) के साथ सह खातेदार सह काश्तकार उद्घोषित कर उक्त डिक्री दिनांक 30.11.2010 की अनुपालना करवाने हेतु अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद को तहरीर जारी की गई । तहसीलदार, नसीराबाद ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित तहरीर की पालना करवाने हेतु संबंधित पटवारी हल्का को प्रेषित की जिस पर हल्का पटवारी लोहरवाडा ने तहसीलदार से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में यह मार्गदर्शन चाहा कि ग्राम लोहरवाड़ा के खाता संख्या 403 नया व 1102 पुराने में अंकित आराजी खसरा संख्या 1842 रकबा 0.14 है0, खसरा नंबर 2936 रकबा 0.31 है0 व खसरा संख्या 2973 रकबा 0.44 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि प्रेम बेवा दयाल व सांवरा वल्द दयाल कौम जाट के स्थान पर क्रेता रमेश पुत्र कल्याण कौम जाट के नाम अंकन हो चुका है । ऐसी स्थिति में उक्त विक्रयशुदा आराजी सहित डिक्री की अनुपालना किया जाना है या उक्त विक्रयशुदा आराजी को छोड़ते हुए अनुपालना किया जाना है, के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करावे । जिस पर तहसीलदार, नसीराबाद ने परीक्षण न्यायालय को पटवारी हल्का द्वारा जारी मार्गदर्शन सहित उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को पत्र प्रेषित किया । जिस पर अधी0न्याया0 ने उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली को तलब कर दिनांक 29.6.2011 को प्रकरण पुनः तलब करने के आदेश पारित किये किन्तु नोटिस न तो परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी किये गये न ही अपीलांटस/वादीगण को प्राप्त हुए । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2010 में वर्णित खसरा नंबर 1842, 2936, 2973 के संबंध में पारित निर्णय में वर्णित खसरा नंबर की हद तक डिक्री रिव्यू किये बगैर उनके द्वारा एक नोन स्पीकिंग आदेश दिनांक 5.9.2011 को पारित कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । वादीगण/अपीलांटस ने ग्राम लोहरवाड़ा स्थित खाता संख्या 403 नये 1102 पुराने में वर्णित आराजी कुल किता 16 कुल रकबा 3.4800 है0 भूमि के संबंध में राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलांटस के पिता दयाल वल्द सुगना, जाति जाट थे जिनके स्वर्गवास के बाद विरासती नामांतकरण संख्या 388 दिनांक 18.9.1999 को रेस्पो0 संख्या 1 व

अपीलांटस के भाई सांवरलाल पुत्र दयाल ने अपीलांटस को वंचित कर केवल मात्र रेस्पो0 ने अपने नाम तस्दीक करवा लिया जिस पर अपीलांटस द्वारा नियमित राजस्व वाद के माध्यम से चुनौती दी गई। उक्त चुनौती को रेस्पो0 संख्या 1 तथा प्रतिवादी संख्या 2 सांवरलाल वल्द दयाल (जिसका दिनांक 4.12.2010 को स्वर्गवास हो चुका है) उक्त दोनों प्रतिवादीगण ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 30.11.2010 को स्वेच्छा से स्वीकार किया जिसके आधार पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 30.11.2010 को सक्षम न्यायालय के समक्ष विधि में वर्णित प्रकिया के तहत ही चुनौती देकर निरस्त करवाई जा सकती थी किन्तु उक्त वास्तविक स्थिति को नजरअदाज कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 ने तहसीलदार, नसीराबाद विकयशुदा आराजी खसरा नंबर 1842, 2936, 2973 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 जो कि रेस्पो0/प्रतिवादीगण द्वारा विकय की गई थी (जिसके संबंधमें अपीलांटस को कोई जानकारी नहीं थी) बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया था कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.11.2010 के अनुसार अनुपालना की जानी है या विकयशुदा आराजी को छोड़कर शेष आराजी बाबत् डिकी की अनुपालना की जानी है। यहां यह निवेदन करना उचित होगा कि केता द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष आज तक किसी भी प्रकार का उज्र व ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में संबंधित पटवारी हल्का व तहसीलदार का उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से क्या हित था कि उनके द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिकी की अनुपालना करने से पूर्व उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। उक्त प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 ने अपने में निहित विधिक शक्तियों का दुरूपयोग कर आदेश अपील पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.11.2010 आज भी प्रभावी है। अपीलांटस स्व0 दया पुत्र सुगना जाति जाट के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 1956 की धारा 6 व 8 में वर्णित विधिक स्थिति अनुसार अपीलांटस मृतक खातेदार काश्तकार की प्रथम श्रेणी के वारिसान होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के साथ विवादित आराजी में बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित था। इस स्थिति में अधी0न्याया0 का यह विधिक दायित्व था कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का जो वकिय किया गया है उसे अपीलांटस के हिस्से तक तथाकथित विकय पत्र प्रभावहीन एवं बेअसर घोषित करते। उक्त विधिक स्थिति को समझे बिना आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज करने के बाद अपीलांटस को व्यक्तिगत रूप से अधी0न्याया0 द्वारा सम्मन तामील नहीं करवाये गये एवं न ही अपीांट श्री सुखदेव चौधरी को प्रकरण को पुनः दर्ज करने के पश्चात् पैरवी करने बाबत् कोई हिदायत ही दी गई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.9.2011 निरस्त किया जावे एवं अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 30.11.2010 की अनुपालना के निर्देश प्रदान करावे। विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 689, आर0एल0डब्ल्यू0 2011 पेज 782, आर0बी0जे0 2019 पेज 123 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में दिनांक 19.5.2011 व दिनांक 25.5.2011 को परीक्षण न्यायालय को पत्र जारी किया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.6.2011 को प्रकरण दर्ज कर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.7.2011 नियत की । उक्त तारीख पेशी बाबत् अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी गई । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज करने व निर्णित करने के संबंध में प्रार्थीगण को जानकारी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इसके बावजूद अभिभाषक श्री सुखदेव चौधरी की उपस्थिति दर्ज कर प्रार्थीगण के हितों को नजरअंदाज कर अधी0न्याया0 द्वारा आदेश पारित कर दिये गये जिसकी जानकारी सर्वप्रथम अपीलांटस को अधी0न्याया.0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.7.2012 को लेने पर हुई इससे पूर्व प्रार्थीगण को अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.9.2011 के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी । अपीलांटस ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का एवं अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2010 एवं 5.9.2011 का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. वादीगण/अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2010 को पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम लोहरवाड़ा के खाता संख्या 403/1102 किता 16 रकबा 3.48 पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादियागण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया है । उक्त निर्णय व डिक्री की पालना करने से पूर्व तहसीलदार नसीराबाद ने पत्र दिनांक 25.5.2011 अधी0न्याया0 को पत्र प्रेषित कर मार्गदर्शन चाहा । न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में खाता संख्या 403/1102 किता 16 रकबा 3.48 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ वादीगण को भी खातेदार घोषित किया है किन्तु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही उक्त आराजी में से खसरा नंबर 1842, 2936 व 2973 का बैचान विक्रेता प्रेम बेवा दयाल, सांवरा वल्द दयाल, कौम जाट के स्थान पर क्रेता रमेश पुत्र कल्याण कौम जाट साकिन देह खातेदार के नाम अंकन दर्ज हो चुका है । अतः पालना उक्त विक्रय किये गये खसरा नंबर को छोड़कर की जावे अथवा निर्णय अनुसार । तहसीलदार, नसीराबाद के उपरोक्त पत्र प्राप्त होने पर अधी0न्याया0 ने वादीगण को दिनांक 29.6.2011 को जरिये नोटिस क्रमांक 5442 दिनांक 29.6.2011 को तलब किया जिस पर वादीगण की और से अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 15.7.2011 को उपस्थित होकर अण्डर टेकिग दी तथा जवाब हेतु समय चाहा । इसलिये अपीलांटस का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांटस को अधी0न्याया0 द्वारा नोटिस जारी नहीं किये गये है । इसके उपरांत आगामी पेशी दिनांक 25.7.2011 एवं दिनांक 30.8.2011 को भी वादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया, जिस पर अधी0न्याया0 ने वादीगण का जवाब बंद कर दिनांक 5.9.2011 को आदेश पारित कर विक्रय की गई आराजियात को छोड़कर शेष

आराजियात बाबत् पालना करने के निर्देश तहसीलदार, नसीराबाद को दिये है। अपीलांट ने अधी0न्याया0 एवं न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में भूमि विक्रय किये जाने के तथ्य छिपाये है तथा क्रेता को वाद एवं अपील में पक्षकार कायम नहीं किया है । अतः स्पष्ट है कि वादी/अपीलांटस स्वच्छ हाथों से वाद प्रस्तुत नहीं किया था । अधी0न्याया0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से डिक्री पारित हुई थी । अधी0न्याया ने विधिसम्मत् रूप से विक्रयशुदा आराजियात को छोड़कर तहसीलदार को पालना करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.9.2011 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 26.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर